

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/32

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकला 2. कृष्णकन राज/भुराराम सरगरा निवासी रानीकला तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति -

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।



निर्णय :-

दिनांक :- 13.8.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकला ने नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। साथ ही जैर निगरानी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा/मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवास भी नहीं है। खाली पडत भूमि पर नियम विरुद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरुद्ध प्रतीत होती है। जांच पत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईशतहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्लिद्यती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकला द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई

अति. जिला कलेक्टर, पाली

2 | पंचायत निगरानी संख्या 09/2021 विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां दंगैस है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरुद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने पूर्व में लिखित जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रानीकलां गांव मूल निवासी है, जहां पर अप्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है, जिसके चारों तरफ काटो की बाड की हुई है एवं रसाई बनाने के लिये सामान भी रखा हुआ है। प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है, चुकि ग्राम पंचायत रानीकलां ने अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पंचायत के पूर्ण कोरम की बैठक एवं मिसल बनाने की पूर्ण कार्यवाही मौका रिपोर्ट, मौका निरीक्षण रिपोर्ट, पट्टे के लिये आवेदन का शुल्क, नक्शा शुल्क सहित सम्पूर्ण जांच के उपरान्त नियमानुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार कि जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है। इसलिये जैर निगरानी आधारहीन, सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रार्थी की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सुकनराज पुत्र भुराराम सरगरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष बिना दिनांक का पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.02.2019 को मिसल कायम की गयी, जिसमें सचिव को नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईशतहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप-22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं है तथा नोटिस की पुश्त पर गवाहों की वल्लिदयति की कोई जानकारी अंकित नहीं है। साथ ही मिसल के संलग्न बयान फार्म निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है तथा उक्त बयान कब लिये गये के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे उक्त बयान फार्म की वैधिकता जाहिर नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (C) में यह स्पष्ट अंकित है सुकनराज/भुराराम सरगरा को नियम 157 के तहत खाली भूमि का पट्टा 200/-रुप्ये पर जारी किया गया जबकि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है केवल काटों की बाड की है तथा अप्रार्थी के पूर्व में भी दो स्थायी पक्के आवासीय मकान बने हुये है। इस खाली भूमि का



अति. जिला कलेक्टर, पाली



पट्टा डी.एल.सी. दर से या निलामी प्रक्रिया से ही जारी किया जा सकता है। अतः उक्त पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंसा की जाती है, जिससे भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरुद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के समक्ष बिना दिनांक का पुरतैनी मकान का पट्टा बनाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं है साथ ही मिसल के संलग्न बयान फार्म निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है तथा उक्त बयान कब लिये गये के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप-22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित नहीं है साथ ही मिसल के संलग्न बयान फार्म निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है तथा उक्त बयान कब लिये गये के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है, जिससे उक्त बयान फार्म की वैधिकता जाहिर नहीं होती है। ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (C) में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरुद्ध तरीके से जारी किया गया है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंसा की है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सुकनराज पुत्र भुराराम सरगरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 31 दिनांक 12.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 13/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)

(डॉ. राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

(Signature)

(डॉ. राजेश गोयल)

अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली